(7)

अपर उपायुक्त, सरायकेला–खरसावॉ का न्यायालय, सरायकेला।

एस0ए0आर0 अपील वाद सं0–03/2016–17

सुनील केडिया उर्फ जॉनी केडिया

वनाम

सोम माझी

07/12/2017

यह अपील भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0–04/2014–15 में दिनांक–25.07.2016 को पारित आदेश के विरूद्ध सुनील केडिया @ जॉनी केडिया पिता– श्री सत्यनारायण केडिया, ग्राम– बड़ा गम्हरिया, थाना– आदित्यपुर, जिला– सरायकेला–खरसावॉ के द्वारा अपील वाद दायर किया गया है। इस वाद के प्रतिवादी श्री सोम माझी, पिता–स्व0 रूही माझी, ग्राम– सालडीह, थाना–गम्हरिया, जिला–सरायकेला–खरसावॉ है। वादग्रस्त भूमि का विवरणी इस प्रकार है–

क0सं0	मौजा	थाना सं0	खाता सं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
1	सालडीह	51	38	241	0.19.066
				244	0.28.096
				कुल रकवा–	0.47.162 एकड़

अपीलकर्त्ता/वादी कि विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने लिखित बहसनामा में निम्न विन्दुओं पर पक्ष रखा गया –

1. प्रश्नगत भूखण्ड टाईटल शूट नं0–170/1962 निशिकान्त दे वनाम राम मांझी एंव लखन मांझी में दिनांक–16.02.1969 के पारित आदेशनुसार निशिकान्त दे पक्ष में डिग्री दिया गया है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड का नामांतरण वाद सं0–360/65–66 द्वारा निशिकान्त दे के नाम पर नामान्तरित होकर पंजी II में जमाबंदी कायम हुआ।
3. निम्न न्यायालय द्वारा उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाने के आधार मानकर इस डिग्री को कपटपूर्ण मानना न्यायसंगत नहीं होने संबंधी वर्णन है जबकि सरायकेला राज्य वर्ष 1951 में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत सम्मिलित किया गया है तथा C.P.C में 1975 में संशोधन कर उपायुक्त को पक्षकार बनाने का प्रावधान किया गया है। 1962 में यह प्रावधान नहीं था। उत्तरवादी अथवा उनके पूर्वजों द्वारा

(8)

(8)

उक्त डिग्री के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में कपटपूर्ण करार हेतु वाद दायर नहीं किया गया है इसलिए कानून परीक्षण सक्षम स्तर पर किये गये बिना कपट घोषित नहीं किया जा सकता है।

4. प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में एस0ए0आर0 वाद सं0–01/98–99 तथा अपील वाद सं0–08/09–10, 09/09–10 दायर हुआ जिसे भू वापसी वाद को खारिज कर निशिकान्त दे के पक्ष में नियमित दखल की पुष्टि की गई।
5. पंजी–।। रैयत निशिकान्त दे, पिता गोपीनाथ दे से अपीलकर्त्ता के पितामह स्व0 बंकु बिहारी केडिया ने निबंधित केवाला सं0– 3592 दिनांक 09.09.1969 द्वारा क्रय किया है।
6. नामांतरण वाद सं0–816/76–77 के द्वारा नामान्तरित कराकर पंजी–।। में जमाबंदी कायम है एवं दखलकार है।
7. इस प्रकार आदिवासी रैयत वर्ष 1948 से यानी विगत 69 वर्षों से प्रश्नगत जमीन पर दखलकार नहीं है।
8. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड रॉची द्वारा WP(C) No- 3472/2001 चैतू उरॉव एवं अन्य वनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.03.2004 को आदेश पारित है कि "Restoration proceeding initated after lapse of 43 years from the date of registered deed of surrendered – Whether barred by limitation-yes order allowing restoration set aside- petition allowed [Constitution of India, Article 226.]

इसी प्रकार छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 71ए महादेव महतो वनाम बिहार सरकार, 2009(3) JCR 340(jhr) में भी उल्लेखित है कि applicability of period of limitation – initially the period of limitation of 12 years stood amended by amendment Act one of 1986- extending limitation period of 30 years- limitation for filling restoration petition would be 30 years.

इसी प्रकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील (सिविल) सं0–2414–15/199 सितु साहू एवं अन्य वनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 10.09.2004 का पारित आदेश में उल्लेखित है कि Chhotanagpur Tenancy Act,1908, Section 71A and 71B Limitation Act 1963, Article 65 & restoration of land-to the members of Scheduled tribes and Khatiyani holders- Sustainability of power under section 71A could have been exercised only within a reasonable time exercise of powers after lapse of 40 years against the period of limitation of 30 years under the limitation Act- not a reasonable time for- application for restoration not maintainable- Dismissed.

(9)

उपरोक्त के आलोक में निम्न न्यायानय के पारित आदेश को निरस्त करने के लिए पक्ष रखा गया है।

इसी प्रकार प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा पूर्व में प्रस्तुत लिखित बहसनामा में निम्न पक्ष रखा गया है –

1. सर्वे 1961 खतियान में मौजा– सालडीह, थाना नं0–51, खाता नं0–38 अंतर्गत भूमि राम मांझी एवं अन्य, जाति– संथाल के नाम से दर्ज है जो अनुसूचित जनजाति श्रेणी के व्यक्ति हैं।
2. प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि इन्होंने अपने हिस्सेदारों के बीच वाद संख्या–35/1989 दायर किये जिसमें सोम मांझी के पक्ष में आदेश पारित हुआ। इस आदेश के विरूद्ध किष्टो मांझी एवं अन्य ने टाईटल अपील वाद सं0–4/1995 दायर किये जो निरस्त किया गया। इसलिए इस परिस्थिति में यह स्पष्ट नहीं होता है कि आवेदित भूमि का वास्तविक हकदार व्यक्ति कौन है।
3. निशिकान्त दे ने टाईटल शूट में सुलहनामा के आधार पर राम मांझी एवं लखन मांझी से आवेदित भूमि को प्राप्त किये किंतु इस वाद में सभी हिस्सेदारों को पक्षकार नहीं बनाया गया। अनुसूचित जनजाति के भूमि पर वाद दायर होने पर उपायुक्त को पक्षकार बनाना आवश्यक है। किंतु निशिकान्त दे ने ऐसा नहीं किया और सुलहनामा आवेदन पत्र में राम माझी और लखन मांझी से हस्ताक्षर करा लिये। यह collusive डिग्री है और इसके आधार पर की गई नामांतरण विधिसंगत नहीं है। इसलिए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश उचित है।

इस वाद में खतियानी रैयत के अंशदार लखन मांझी के विवाहिता पुत्री माली माझीयाईन Intervenor बने हैं जिसे सुनवाई हेतु स्वीकार किया गया। इनके पक्ष में विद्वान अधिवक्ता द्वारा विन्दुवार पक्ष रखा गया कि –

1. निम्न न्यायालय द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0–04/14–15 में दिनांक 25.07.2016 को सोम मांझी के पक्ष में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है क्योंकि खतियानी रैयत के एक अंशदार श्री लखन मांझी के द्वारा Deed of Gift इन्हें दिया गया।
2. T.S. No. 176/1975 माली माझीयान वनाम पार्वती माझीयान में वाद चला। जिसमें सूलहनामा डिग्री के आधार पर इनका दखल कब्जा हुआ।
3. माननीय अनुमण्डल पदाधिकारी, सरायकेला के न्यायालय में प्रश्नगत भूखण्ड के संदर्भ में मिस केस नं0–120/2009 जॉनी केडिया वनाम माली माझीयान में चला जिसमें जॉनी केडिया के पक्ष में आदेश पारित हुआ।
4. माननीय मुंसिफ न्यायालय में वाद सं0–23/2009 चला जिसमें माली मांझीयान के पक्ष में आदेश पारित हुआ।

(12)

(10)

5. पुनः जॉनी केडिया द्वारा टी0ए0 मिस केस नं0– 39/2011 माननीय प्रधान न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किया गया। जो सुनवाई हेतु प्रकियाधीन है इसलिए भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा एस0ए0आर0 वाद सं0–04/14–15 में पारित आदेश विधिसम्मत नहीं है।

इस विन्दु पर प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि Customary law के अनुसार संथाल धर्म के विवाहित पुत्री को पिता के भूखण्ड पर किसी प्रकार का बिक्री आदि किया जाना नियम के प्रतिकूल है। इसलिए इस भूखण्ड पर इनका किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं है। और न ही Deed of gift संबंधी किसी प्रकार का निबंधित दस्तावेज है।

साथ ही वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा टी0ए0 मिस केस नं0–39/2011 की प्रति उपलब्ध करायी गयी है जिसमें जॉनी केडिया के पक्ष में आदेश पारित है।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला ने निम्न विन्दुओं के आलोक में आदेश पारित किये हैं –

1. प्रश्नगत भूखण्ड 1961 सर्वे में आदिवासी खाते की भूमि है।
2. टी0एस0 नं0–170/1962 में उपायुक्त को पक्षकार नहीं बनाने के कारण सुलहनामा के आधार पर collusive डिग्री है।

उपरोक्त विन्दुओं के आलोक में निम्नलिखित स्थिति स्पष्ट होता है –

1. प्रश्नगत भूखण्ड टाईटल शूट नं0–170/1962 निशिकान्त दे वनाम राम मांझी एवं लखन मांझी में दिनांक 16.02.1969 के पारित आदेशानुसार निशिकान्त दे के पक्ष में डिग्री पारित किया गया है।
2. प्रश्नगत भूखण्ड का नामांतरण वाद सं0–360/65–66 द्वारा निशिकान्त दे के नाम पर नामान्तरित होकर पंजी–।। में जमाबंदी कायम हुआ।
3. प्रश्नगत भूखण्ड पर पूर्व में एस0ए0आर0 वाद सं0–01/98–99 तथा अपील वाद सं0–08/09–10, 09/09–10 दायर हुआ जिसे भू वापसी वाद को खारिज कर निशिकान्त दे के पक्ष में नियमित दखल की पुष्टि की गई।
4. पंजी–।। रैयत निशिकान्त दे पिता गोपीनाथ दे से अपीलकर्त्ता के पितामह स्व0 बंकु बिहारी केडिया ने निबंधित केवाला सं0–3592 दिनांक 09.09.1969 द्वारा क्रय किया है।
5. नामांतरण वाद सं0–816/76–77 के द्वारा नामांतरित कराकर पंजी–।। में जमाबंदी कायम है एवं दखलकार है।

(11)

6. इस प्रकार आदिवासी रैयत विगत 60 वर्षों से अधिक समय से प्रश्नगत जमीन पर दखलकार नहीं है।

7- माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड रॉची द्वारा WP(C) No- 3472/2001 चैतू उरॉव एवं अन्य वनाम झारखण्ड सरकार एवं अन्य में दिनांक 26.03.2004 को आदेश पारित है कि "Restoration proceeding initated after lapse of 43 years from the date of registered deed of surrendered – Whether barred by limitation-yea7 order allowing restoration set aside- petition allowed [Constitution of India, Article 226.]

अतः उक्त के आलोक में उपरोक्त विन्दुओं पर समीक्षा उपरान्त स्पष्ट है कि SAR वाद के वादी सोम मांझी प्रतिवादी जॉनी केडिया एवं माली मांझीयान के मध्य टाईटल से जुड़े हुए प्रतीत होते हैं। जिसमें भिन्न भिन्न तिथियों में टाईटल शूट सं0–170/1962, 176/1975, मिस केस नं0–120/2009, 23/2009, टी0ए0 मिस केस नं0–39/2011 एवं एस0ए0आर0 वाद सं0–1/98–99 तथा अपील वाद सं0–08/09–10, 09/09–10 में आदेश पारित हुए हैं । टाईटल शूट टी0एस0 मिस केस नं0–170/1962 एवं टी0एस0 मिस केस नं0–39/2011 में कथित खतियानी रैयत और उनके उत्तरजीवी अपना स्वत्व सिद्ध नहीं कर पाये।

उक्त दोनों माननीय न्यायालय द्वारा गैर आदिवासी के पक्ष डिग्री दी गई है। इस परिप्रेक्ष्य में विषयगत वाद को उक्त वादों से पृथक करके देखा नहीं जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि एस0ए0आर0 वाद के वादी सोम मांझी, प्रतिवादी जॉनी केडिया एवं माली मांझियान के मध्य स्वत्व से संबंधित निम्न न्यायालय द्वारा अपने आदेश में इसका ध्यान नहीं रख आदेश पारित किया गया है। इसलिए अपील आवेदन स्वीकृत करते हुए निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश खारिज किया जाता है।

वाद की कार्रवाई बंद की जाती है।

लेखापित
(हस्ताक्षर) 5/31/17
अपर उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावॉं।

(हस्ताक्षर) 5/31/17
अपर उपायुक्त,
सरायकेला–खरसावॉं।